संख्या-47/2016/353/22-2-2016-17(216)/2012

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2016*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी भोजराज सिंह पुत्र श्री श्यौबक्स सिंह, निवासी-चौबारा, थाना-शाजापुर, जनपद-अलवर(राजस्थान) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4163/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/09-02-2016 दिनांक 12-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी भोजराज सिंह पुत्र श्री श्यौबक्स सिंह, निवासी-चौबारा, थाना-शाजापुर, जनपद-अलवर(राजस्थान) का निवासी है। बन्दी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती माया देवी के चरित्र पर शक किये जाने को लेकर दिनांक 29.05.1979 को अपनी पत्नी व पुत्री को गंगा नदी में फेंक दिया जिसमें उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या 144/1986 में भा0द0वि0 की धारा-302,201,307 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 11-10-1988 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 03.02.2016 तक 14 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार एवं 19 वर्ष 00 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, अलवर(राजस्थान) द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है किन्तु पुलिस अधीक्षक हापुड द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध हत्या एवं हत्या के प्रयास की जघन्य श्रेणी में किया गया अपराध है जो व्यक्ति विशेष की सीमित अपराध की श्रेणी में आता है। बन्दी इस प्रकार का अपराध कभी भी कर सकता है। पुलिस अधीक्षक, द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा पुलिस अधीक्षक, हापुड की आख्या के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई न किये जाने की

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्तुति एवं वर्तमान में काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी भोजराज सिंह (बन्दी संख्या-10608) पुत्र श्री श्यौबक्स सिंह, निवासी जनपद-अलवर(राजस्थान) की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-353/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in